

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF TRANSPORT (PARIVAHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF RAILWAYS (RAIL VIBHAG)
(RAILWAY BOARD)

REF/NO.296/85

NO. E(NG)-85-PMI-14(RAEC-78)

New Delhi, dated. 13-10-1985.

The General Managers,
All Indian Railways.

Subject: Promotion to posts in safety categories -
Recommendation of Railway Accident Enquiry
Committee-1978 (Sikri Committee).

The Railway Accident Enquiry Committee-1978(Sikri Committee) vide their Recommendation No.15(i) in part II of their report have made the following recommendation:-

"It is important to see that no accident is liable to occur due to people not fully qualified being given posts which are concerned with the safety of the public."

2. The above recommendation of the Sikri Committee has since been accepted by the Govt. In this connection, the attention of the Railway Administrations is drawn to the instructions contained in this Department's letter No.E(NG)I/75/PMI/44 dated 31.5.82 as amended/clarified from time to time. In terms of these instructions, a railway servant is required to complete a minimum of 2 years service in the relevant lower grade for promotion to posts in safety categories. Relaxations for filling up the vacancies arising out of restructuring of various cadres in the recent past have been allowed as a one time exception subject to the condition that where the total service in the lower grade is less than 2 years, a competency certificate by an Officer of the rank of Junior Administrative grade of the concerned department shall be necessary before promotion to the next higher grade is approved. In this Department's letter No.E(NG)I/84/PM7/43 dated 12/9/85, instructions have been issued relaxing the 2 years service condition for filling up the vacancies in safety categories to one year in respect of promotion to be ordered upto 30/6/86. This relaxation also has been allowed subject to the condition that an employee can be promoted only after he has been tested by a J.A. Grade Officer of the department concerned and a competency certificate is granted by the DRM or a Level-I Officer personally, in addition to the requirement of usual process of non-selection or selection as the case may be.

P.T.O.

3. In the context of Sikri Committee's recommendation as reproduced above, the Department of Railways desire that it should be ensured that the above instructions in regard to promotion to posts in safety categories are scrupulously followed and no deviation therefrom is allowed.

4. Please acknowledge receipt.

K. B. Lall

(K.B. LALL)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

Copy to:

JD(Safety)I, Safety I, Branch, Railway Board,

E(SCT)I & II, E(Rep)I, II & III,

E(NG)II, E(P&A)I & II, PC - III and

E(G) Branches, Railway Board.

भारत सरकार
परिवहन मंत्रालय
रेलविभाग (रेलवे बोर्ड)

RBB No/296/85

सं० ई(एन जी) 1-85-पी एम 1-14 (आर ए ई सी-78)

नयी दिल्ली, दिनांक 13-11-85

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें।

विषय:- संरक्षा कोटियों के पदों में पदोन्नति- रेल दुर्घटना जांच
समिति-1978 (सीकरी समिति) की सिफारिशें।

रेल दुर्घटना जांच समिति-1978 (सीकरी समिति) ने अपनी रिपोर्ट के भाग-II में अपनी सिफारिश सं० 15(1) में निम्नलिखित सिफारिश की है:-

" इस बात का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जनता की संरक्षा से संबंधित पदों पर पूर्णतः अर्हताप्राप्त कर्मचारी न होने के कारण कोई दुर्घटना न होने पाये"।

2 . सरकार द्वारा सीकरी समिति की उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है। इस संबंध में रेल प्रशासनों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित/स्पष्टीकृत इस विभाग के 31-5-82 के पत्र सं० ई(एन जी) 1-75/पी एम 1/44 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों की ओर दिलाया जाता है। इन अनुदेशों के अनुसार संरक्षा कोटियों के पदों पर पदोन्नति के लिए सम्बद्ध निचले ग्रेड में रेल कर्मचारी की कम से कम दो वर्ष की सेवा होनी आवश्यक है। विगत में विभिन्न संवर्गों की पुनर्संरचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए केवल एक बार अपवादस्वरूप इस शर्त पर छूट दी गयी है कि जहां निचले ग्रेड में कुल सेवा दो वर्ष से कम हो, वहां अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुमोदन देने से पहले संबंधित विभाग के कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारी का एक स्क्षमता प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। इस विभाग के 12-9-85 के पत्र सं० ई(एनजी) 1/84/पी एम 7/43 में अनुदेश जारी किये गये हैं जिसमें संरक्षा कोटियों में रिक्तियों को भरने के लिए 30-6-86 तक की जाने वाली पदोन्नति के संबंध में 2 वर्ष की सेवा शर्त को कम करके एक वर्ष कर दी गयी है। यह छूट इस शर्त पर भी दी गयी है कि किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति केवल तभी की जा सकती है जब संबंधित विभाग के कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारी द्वारा उसकी परीक्षा ले ली जाये और गैर प्रवरण अथवा प्रवरण, जैसी भी स्थिति हो की सामान्य प्रक्रिया की अपेक्षाओं के अलावा, मंडल रेल प्रबन्धक या स्तर-I के अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्क्षमता प्रमाणपत्र दिया जाये।

3. शीकरी समिति की सिफारिश, जैसी कि ऊपर उद्धृत है के संदर्भ में, रेल विभाग यह चाहता है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संरक्षा कोटियों के पदों पर पदोन्नति के संबंध में उपर्युक्त अनुदेशों का ईमानदारी से अनुपालन किया जाता है और उससे हटकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

4. कृपया पावती दें।

(के 0 बी 0 लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज 0)
रेलवे बोर्ड।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

संयुक्त निदेशक (संरक्षा) I, संरक्षा-I, शाखा, रेलवे बोर्ड।

ई (एस सी टी) I, और II, ई (रिप) I, II और III

ई (एन जी) II, ई (पी एंड ए) I, और II, पी सी-I, II और III

ई (जी) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।

-: 2 :-

selection for filling up the posts of Safety
Counsellors.

5. Please acknowledge receipt.

Komal

(K.B.LALL)

Joint Director, Establishment(N),
Railway Board.

DA:-As above.

Copy to:-

PSs to MT, MS, Adv.(IR).

SPA s to Director(Safety), DTT, Director(Coaching),
D.E., ADE(N), ADE(C), ADE(R).

JDE(N), JDE(R)I, JDE(R)II, JD(Safety), DDE(SCT),
DDE(N), DDE(R)I, II, DDE(D&A), Safety-I,
E(Rep)I, II, III, E(SCT)I, II, E(NG)II, and
E(G) Branches.

.....

रेल विभाग ने मामले पर विचार किया है। वे यह वांछा करते हैं कि संस्था परामर्शदाताओं के पदों को भरने के लिए चयन करते समय रेल दुर्घटना जांच समिति-1978 द्वारा की गयी उपर्युक्त सिफारिश को भी ध्यान में रखा जाये।

कृपया पावती दें।



(डॉ० वी० लाल)

संयुक्त निदेशक, स्था० (अराज०)
रेलवे बोर्ड।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

निजी सचिव/परि० मं०, कार्मिक सदस्य, सलाहकार (औ० सं०)।

वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/निदेशक (संस्था), निदेशक याता-परि०, निदेशक कोचिंग, निदेशक स्था०,

अपर निदेशक स्था० (अराज०), अपर निदेशक स्था० (सी०), अपर निदेशक स्था० (आर०),

संयुक्त निदेशक स्था० (आर०) I, संयुक्त निदेशक स्था० (अराज०) II, संयुक्त निदेशक स्था० (आर०) II

संयुक्त निदेशक संस्था, उप निदेशक स्था० (एस सी टी), उप निदेशक स्था० (एन), उप निदेशक

स्था० (आर०) I, II, उप निदेशक स्था० (डी एण्ड ए), संस्था-I, ई(रिप) I, II, III,

ई(एस सी टी) I, II, ई(एन जी) II, ई(जी) शाखा को एक अतिरिक्त प्रति सहित।

- - -